फॉर्म-XI

स्वयं शपथ-पत्र

क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु (विहार सरकार के प्रयोजनार्थ)

पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु मैं रूपम कुमारी पुत्र/पुत्री सदन रिगेंट गॉव/शहर प्राणिकिता पोस्ट ऑफिस स्वरूपरी थाना प्राणीन प्रखंड १५) हा अनुमंडल ११ फी जिला १५ राज्य छिटार ने क्रीमीलेयर रहित प्रमाणपत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा शपथ लेता / लेती हूँ कि :-

वर्ग के रूप में अधिसूचित है।

2. मेरे माता/पिता में से कोई भी भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-ए/ क्लास-1 के पद पर अथवा पी०एस०यू०, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, शिक्षण संस्थान की सेवा में अथवा मारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन गुप-ए के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में अथवा किसी संवैद्यानिक पद पर नहीं हैं।

3. मेरे माता और पिता (जो लागू न हो उसे काट दें) में से दोनों भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन गुप-बी/क्लास-2 के पद पर अथवा पी०एस०यू०, बैंक, इंश्योरेंस कम्पनी, विश्वविद्यालय की सेवा में अथवा भारत सरकार/बिहार सरकार के अधीन ग्रुप-बी/क्लास-2 के समकक्ष पद पर गैर सरकारी सेवा में नहीं हैं।

5. मेरे माता/पिता की अन्य स्रोत से बिजनेस/प्रोफेशन सहित कुल वार्षिक आय रु. एक शास्य (शब्दों में) है। वीस होगा (शब्दों में) है। वीस होगा निर्गत संगत आदेश

में परिमाषित क्रीमीलेयर के अंतर्गत नहीं आता/आती हूँ।

में प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आखाण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता घारण करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता/जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाणपत्र के द्वारा शेक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाणपत्र के आघार पर कोई अन्य सुविघा/लाम प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस संबंध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरवायी रहूँगा/रहूँगी।

> भगपम कुमारी आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा नाम।

नाम- भाषम कुमारी

स्थान :- *दाणि फिन्ना* दिनांक :- 18 | 09 | 2025